भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4210 का उत्तर

बेस रसोई पर्यवेक्षक और खानपान प्रबंधक के संबंध में रेल नीति

4210. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24/2023 के अनुसार बेस रसोई पर्यवेक्षक और खानपान प्रबंधक के संबंध में रेलवे बोर्ड की नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या होटल प्रबंधन स्नातकों की नियुक्ति उपर्युक्त नीति के अनुसार की जानी थी;
(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर प्रबंधन स्नातकों की नियुक्ति की गई है;
(घ) उक्त नीति के अंतर्गत कितनी बेस रसोईयां स्थापित की गई हैं;
(ङ) ऐसी बेस रसोईयों की संख्या कितनी है जहां होटल प्रबंधन स्नातकों की नियुक्ति की गई है;
(च) उक्त नीति के अंतर्गत अनुबंधित रेलगाड़ियों और रेकों की संख्या कितनी है जिनमें होटल प्रबंधन स्नातकों की नियुक्ति की गई है;
(छ) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम द्वारा रेलवे बोर्ड की नीति का उल्लंघन किया गया है; और
(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने 2023 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24 के तहत अनुदेश जारी किए हैं।

sk

ये अनुदेशों रेल गाड़ियों में खान-पान की आपूर्ति केवल निर्दिष्ट बेस किचन से किए जाने को निर्धारित करते हैं। अवसंरचना के विकास और रेल गाड़ियों में भोजन तैयार करने और सेवाओं के लिए शुरू से अंत तक जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के तहत इन रेलगाड़ी क्लस्टरों की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सेवाओं में उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए इस परिपत्र में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खानपान सेवाओं के प्रबंधन के लिए तैनात कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण के संबंध में अनुदेश शामिल हैं।

इस नीति के अंतर्गत दिनांक 15.03.2025 तक कुल 717 बेस किचन जो 605 रेलगाड़ियों को कवर करते हैं, चालू किए गए हैं।

******

sk